

संविधानवाद की अवधारणाएं -

संविधानवाद राजनीतिक समाज के आदर्शों एवं मूल्यों से संबंधित होता है। विभिन्न राष्ट्रों के आदर्श एवं मूल्य अलग-अलग हो सकते हैं। अतः संविधानवाद की अवधारणा में भी भिन्नता हो सकती है। मोटे तौर पर संविधानवाद की तीन अवधारणाएं मानी जाती हैं -

1. संविधानवाद की पश्चात्य अवधारणा।
2. संविधानवाद की साम्यवादी अवधारणा।
3. संविधानवाद की विकासशील लोकतंत्र की अवधारणा।

1) संविधानवाद की पश्चात्य अवधारणा -

इस अवधारणा के तहत व्यक्ति की स्वतंत्रता को साध्य माना जाता है। यह प्रणाली उदात्त लोकतंत्र में परिणत होती है। इस अवधारणा के तहत राजनीतिक शक्ति पर सुनिश्चित नियंत्रण व्यवस्था परिणत होती है। यहां व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ राजनीतिक समानता, सामाजिक-आर्थिक न्याय, लोककल्याण की साधना, विधि का शासन आदि प्राप्त होते हैं। यहां शक्ति प्रयत्नकाल पर जोर दिया जाता है। उचित समझौते पर नियमित चुनाव होते हैं।

② संविधानवाद की साम्यवादी अवधारणा -

साम्यवादी अवधारणा के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार आर्थिक शक्ति है। उत्पादन के प्रमुख साधन एवं आर्थिक शक्ति पूंजीवादी व्यवस्था में केवल कुछ दायों में ही रहते हैं जो इन्का प्रयोग ऊपरी दलों की हानि के लिए करते हैं। इसलिए साम्यवादी ऐसी संस्थाओं की स्थापना के समर्थक हैं जिनसे आर्थिक शक्ति कुछ वर्गों में वरद्वक सब व्यक्तियों के हाथ में रहे। उनकी धारणा है कि आर्थिक शक्ति सम्पूर्ण समाज में विद्यमान होगी तो राजनीतिक शक्ति भी सम्पूर्ण समाज के नियंत्रण में आ जाएगी। इसमें उत्पादन के साधनों व विभाग पर सर्वजनिक स्वामित्व व सम्पत्ति के समान विभाग पर जोर दिया जाता है।

③ संविधानवाद की विकासशील लोकतंत्र की

अवधारणा -

विकासशील देशों में संविधानवाद अभी पूरी तरह स्थायी नहीं हो पाया है। राजनीतिक प्रक्रियाएं संक्रमण की अवस्था में हैं। अधिकांश विकासशील देश साम्राज्यवादी शक्तियों के दमन व शोषण के शिकार रहे हैं। यद्यपि आर्थिक विकास की समस्या, राजनीतिक स्थायित्व की समस्या आदि पड़ि जा रही हैं। फिर भी यद्यपि संविधानवाद के कतिपय लक्षण स्पष्ट होने लगे हैं जैसे - यद्यपि संविधान मिश्रित प्रकृति का है, संविधानवाद प्रवाह के दौर में है।

Dr. Ashima Arora
Asst. Professor